के, नारायण एवं अन्य

बनाम

एस. मुरली

(सिविल अपील संख्या 4480-4481/2002)

5 अगस्त, 2008

[तरुण चटर्जी और हरजीत सिंह, जे.जे.]

व्यापार एवं वाणिज्य चिन्ह अधिनियम, 1958– धारा 18 तथा धारा 28– पासिंग ऑफ- वाद का– –अपीलार्थीगण द्वारा व्यापार चिन्ह ए-वन के अन्तर्गत केले के चिप्स का निर्माण व विक्रय किया जा रहा– व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल किया गया– आवेदन अभी लम्बित– प्रत्यर्थी द्वारा भी व्यापार-चिन्ह ए-वन के उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया– अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध निषेधाज्ञा चाहते हुए वाद प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी को अपना माल, व्यापार-चिन्ह ए-वन का उपयोग करते हुए हस्तान्तरित करने से रोका जावे– उच्च न्यायालय द्वारा खारिजी औचित्यता– निर्णीतः न्यायसंगत– व्यापार-चिन्ह के पंजीकरण के प्रदत्त करने से पूर्व, यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि चिन्ह का अतिलंघन किया गया है– एक प्रस्तावित पंजीकरण, जो प्रदत्त किया जावे अथवा नहीं, वादी को वाद-कारण प्रदत्त नहीं करता है, चाहे पंजीकरण के लिए आवेदन वादी द्वारा किया गया अथवा प्रतिवादी द्वारा किया गया– मात्र व्यापार-चिन्ह पंजीकरण आवेदन दाखिल करना पासिंग ऑफ के दावे के लिए वाद-कारण उत्पन्न नहीं करता

तथ्यों पर व्यापार-चिन्ह पंजीकरण के लिए आवेदन करना प्रत्यर्थी का अपीलार्थीगण के व्यापार अथवा ख्याति को पहुंचाना इंगित नहीं करता पासिंग ऑफ की कार्रवाई के लिए जरूरी आवश्यकता नदारद है।

अपीलार्थीगण केले के चिप्स, वर्ष 1986 व्यापार-चिन्ह ए-वन के अन्तर्गत, के विनिर्माण तथा विक्रय में व्यवसायरत थे। वर्ष 1999 में उनके द्वारा व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समक्ष व्यापार चिन्ह ए-वन के पंजीकरण के लिए आवेदन दायर किया गया। आवेदन लम्बित रहा। वर्ष 2000 में प्रत्यर्थी द्वारा भी व्यापार-चिन्ह "ए-वन" के उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण चाहते हुए आवेदन दायर किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थीगण द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष इस निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक वाद दायर किया गया कि प्रत्यर्थी को अपने माल को व्यापार-चिन्ह ए-वन का उपयोग करते हुए हस्तान्तरित करने से रोका जाए, उच्च न्यायालय द्वारा वाद का खारिज कर दिया गया।

वर्तमान अपीलों में जो प्रश्न विचार के लिए उत्पन्न हुआ है वह है कि क्या अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी को अपना माल व्यापार-चिन्ह ए-वन का उपयोग करते हुए हस्तान्तरित करने से रोके जाने के लिए निषेधाज्ञा मांगी जाने के हकदार थे।

अपील खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया किः-

1.1 व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के लिए आवेदन दायर करना, पासिंग-ऑफ के वाद में वाद कारण के भाग का गठन नहीं करता। उच्च न्यायालय द्वारा सही रूप अभिनिर्धारित किया गया कि व्यापार-चिन्ह का पंजीकरण प्रदान किए जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि व्यापार-चिन्ह का उल्लंघन किया गया है; कि एक प्रस्तावित पंजीकरण, जो प्रदान किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है, वादी को कार्रवाई करने का कारण प्रदान नहीं करेगा,

चाहे पंजीकरण के लिए आवेदन वादी द्वारा किया गया हो या प्रतिवादी द्वारा किया गया हो। [पैरा 24, 29] [948 ई-जी; 946 जी-एच, 947 ए]

1.2 इस मामले में मात्र व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के लिए आवेदन दायर करने पासिंग ऑफ के लिए वाद दायर करने के लिए वाद कारण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि व्यापार-चिन्ह के पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करना, प्रत्यर्थी की ओर से अपीलार्थीगण की या ख्याति को हानि कारित करने का, किसी धोखे को इंगित नहीं करता। अपीलार्थीगण उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी के व्यापार-चिन्ह रजिस्ट्री के समक्ष दायर किये गये आवेदन में किये दावों के आधार पर प्रत्यर्थी के व्यापार चिन्ह ए-वन का उपयोग करके अपने माल को हस्तान्तरित करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग करते हुए वाद दायर नहीं कर सकते, क्योंकि पासिंग-ऑफ की कार्रवाई के लिए जरूरी आवश्यकताएं नदारद हैं। [पैरा- 26, 29] [947 ई; 948 एफ-जी]

प्रिमियर डिस्टिलरिज बनाम प्रा.लि. बनाम सुशी डिस्टिलरिज (2001)3 सी.टी.सी.652- (अनुमोदित किया गया।)

वांडर लिमिटेड एवं अन्य बनाम एन्टोक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड (1990) सप्प. एस.सी.सी. 727 और धोधा हाउस बनाम एस.के. मांगी (2006) 9 एस.सी.सी. 41- (भरोसा किया गया)

एम.एस. जवाहर इंजीनियरिंग कम्पनी और अन्य गाजियाबाद बनाम एम.एस. जवाहर इंजीनियरस प्राईवेट लिमिटेड श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र (1983) पी.टी.सी 207- (सन्दर्भ)।

निर्णय विधि संदर्भ

(1983) पी.टी.सी. 207 संदर्भित पैरा-5

(2006) 9 पूरक एससीसी 41 भरोसा किया पैरा-13

(2006) 3 एससीसी 41 भरोसा किया पैरा-14

(2001) 3 सीटीसी 652 अनुमत पैरा-14

सिविल अपील क्षेत्राधिकार; सिविल अपील संख्या 4480-4481 का 2002।

मद्रास उच्च न्यायालय के ओ.एस.ए. संख्या-149 और 150 निर्णय एवं आदेश दिनांकित 18-04-2002 से।

ग्लेडिस डेनियल, अनुप कुमार और के.वी. विजय कुमार अपीलार्थीगण की ओर से।

प्रत्यर्थी की ओर से डॉ ए.फ्रांसिस जूलियन, सुमित कुमार (मैसर्स अर्पुथम अरुणा एण्ड कम्पनी के लिए)।

इस न्यायालय का निर्णय तरूण चटर्जी जे. द्वारा पारित किया गया।

1. वर्तमान अपीलें अपीलार्थीगण की ओर से मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 2002 के आ.ए.एस. संख्या 149 और 150 में पारित निर्णय व अंतिम आदेश दिनांकित 18 अप्रैल, 2002 के विरुद्ध दाखिल की गयी जिसके तहत उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच ने अपीलार्थीगण की अपीले खारिज कर दी थी। के. नारायण एवं अन्य बनाम मुरली 941

2. इन अपीलों को दाखिल करने से जुड़े संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:

3. अपीलार्थीगण केले के चिप्स के विनिर्माण तथा विक्रय में व्यवसायरत हैं तथा जिनके द्वारा उक्त केले के चिप्स के संबंध में व्यापार-चिन्ह ए-वन वर्ष 1986 में अपनाया गया था। अपीलार्थीगण ने व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री, चेन्नई के समक्ष दिनांक 06 दिसम्बर, 1999 को केले के चिप्स के संबंध में व्यापार चिन्ह ए-वन के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। अपीलार्थीगण का व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के लिए किया गया आवेदन अभी भी लंबित है।

4. दिनांक 07 फरवरी, 2000 को प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोयम्बटूर में जिला न्यायाधीश की फाईल पर ओ.एस. संख्या 2000 का 1 दायर किया जिसमें अपीलार्थीगण को व्यापार चिन्ह ए-वन का उपयोग करके अपने माल को हस्तान्तरित करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की गई। उक्त कथित वाद को कोयम्बटूर के जिला न्यायाधीश ने दिनांक 23 दिसम्बर, 2001 को खारिज कर दिया था।

5. प्रत्यर्थी द्वारा व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री, चेन्नई के समक्ष दिनांक 24 जनवरी, 2000 को वर्ष 1995 से सम्पूर्ण भारत में चिन्ह ए-वन के उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण की मांग हेतु 03 व्यापार चिन्ह आवेदन यथा क्रमांक 899359, 899360 तथा 899361 दाखिल किए गए।

6. तत्पश्चात अपीलार्थीगण द्वारा उच्च न्यायालय मद्रास के समक्ष दिनांक 22 मई, 2001 को सी.एस. संख्या 2001 का 482 दाखिल किया गया जिसमें प्रत्यर्थी को व्यापार चिन्ह ए-वन का उपयोग करके अपने माल को हस्तान्तरित करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की गई थी।

7. अपीलार्थियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष वाद संस्थित करने की अनुमति हेतु एक आवेदन पेश किया गया तथा उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 11 जून, 2001 द्वारा अनुमति प्रदान की।

8. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 06 मार्च, 2002 को निषेधाज्ञा आवेदन खारिज कर दिया गया तथा अपीलार्थीगण को प्रदत्त वाद लाने की अनुमति भी रद्द कर दी गयी।

9. उपरोक्त कथित आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष अपीलें की गयी, जिसे डिवीजन बेंच ने आदेश दिनांक 18 अप्रेल, 2002 द्वारा खारिज कर दिया।

10. डिवीजन बेंच के उपरोक्त कथित निर्णय से व्यथित व असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण ने इस न्यायालय के समक्ष ये विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की है, जो कि अनुमति प्रदत करने के पश्चात पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में हमारे द्वारा सुनी गयी।

11. हमारे द्वारा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया, तथा उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के आलौच्य निर्णय के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश और अभिलेख पर अन्य सामग्रीयों की जांच की गई तथा हम, अपीलों को खारिज करते हुए, डिवीजन बेंच के निष्कर्षों को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैः-

> "उक्त अपीलों में जो मुददा उठाया गया है वह, प्रिमियर डिस्टिलिरिज प्राईवेट लिमिटेड बनाम सुशी डिस्टिलिरिज 2001(3) सी.टी.सी 652 के मामले में हमारे सुविचारित निर्णय द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध पहले

ही तय किया जा चुका है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क देने की कोशिश की कि इस न्यायालय का एक पूर्व का दृष्टिकोण है, जो हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का खण्डन करता है। उक्त आदेश का परिशीलन करने के उपरांत हम पाते हैं कि केवल एक सारांश आदेश था जो उक्त प्रश्न को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करता है। केवल मद्रास स्थित रजिस्ट्री में व्यापार-चिन्ह पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल करना, इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। प्रीमियर डिस्टिलरीज प्राईवेट लिमिटेड मामले में उक्त प्रश्न को विशेष रूप से संबोधित किया जाकर हमारे तर्क संगत आदेश में निस्तारित किया गया था। उस आदेश में, हमने बताया कि "वाद-कारण" शब्द का स्पष्ट अर्थ यह होगा कि कार्रवाई अर्थात वाद संस्थिति को वाद-कारण का अनुसरण करना चाहिए, न कि उससे पहले। व्यापार-चिन्ह के पंजीकरण से पूर्व ही किसी व्यक्ति को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि चिन्ह का उल्लंघन किया गया है। एक प्रस्तावित पंजीकरण, जो दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, वादी को वाद-कारण प्रदत्त नहीं करेंगे, चाहे पंजीकरण के लिए आवेदन वादी या प्रतिवादी द्वारा आवेदन वादी या प्रतिवादी द्वारा किया गया हो।''

12. इससे पूर्व कि हम हमारे समक्ष पक्षकारों की प्रस्तुतियों पर गौर करे, हम इस स्तर पर व्यापर और वाणिज्य-वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 (संक्षेप में, अधिनियम) के प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन मानते हैं जिसकी हमें सम्मिलित विवाद के उचित मूल्यांकन हेतु आवश्यकता होगी। अधिनियम की धारा 18(1) में निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः-

"कोई व्यक्ति जो अपने द्वारा उपयोग किये जाने वाले या उपयोग किये जाने का दावा करता है, जो इसे पंजीकृत कराने का इच्छुक है, उसे अपने व्यापार-चिन्ह के पंजीकरण के लिए रजिस्टर के भाग ए या भाग बी में निर्धारित तरीके से रजिस्ट्रार को लिखित रूप से आवेदन करना होगा।"

अधिनियम की धारा 28 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः-

"इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, रजिस्टर के भाग ए या भाग बी में व्यापार-चिन्ह का पंजीकरण, यदि वैध है, तो व्यापार-चिन्ह के पंजीकृत स्वामी को, उस माल के संबंध में, जिसके संबंध में व्यापार-चिन्ह पंजीकृत है, व्यापार-चिन्ह के उपयोग का और इस अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए तरीके से व्यापार चिन्ह के उल्लंघन के संबंध में राहत प्राप्त करने का विशेष अधिकार देगा।"

13. अब हम पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर विचार करते हैं। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे सामने तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपने आलौच्य निर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के निर्णय मैसर्स जवाहर इंजीनियरिंग कम्पनी एवं अन्य गाजियाबाद बनाम मैसर्स जवाहर इंजीनियरस प्रा. लि. श्रीरामपुर जिला अहमदनगर महाराष्ट्र (1983 पी.टी.सी. 207), से विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय को अधिकार क्षेत्र देने वाला वह स्थान नहीं है जहां विज्ञापन प्रदर्शित हुआ है, बल्कि वह स्थान है जहां विक्रय के लिए व्यापार चिन्ह मांगा गया है, इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि निषेधाज्ञा की प्रदत्त किये जाने अथवा अस्वीकार

किए जाने से पूर्व धमकी वास्तविकता में तब्दील हो जानी चाहिए थी तथा यह उस स्थान पर भी मांगी जा सकेगी, जहां धमकी अभी भी विद्यमान है।

14. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया कि 1938 पी.टी.सी.207 में रिपोर्ट किए गए दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का, मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1990 पी.टी.सी. 240 में दिए गए निर्णय में अनुसरण किया गया था।

15. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क दिया गया कि इसी तरह का दृष्टिकोण मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने क्रमशः ओ.ए.एस. संख्या 53/1995 तथा ओ.ए.एस. संख्या 82/1995 में 13 मार्च, 1995 और 29 मार्च, 1995 में अपने अप्रकाशित निर्णयों में अपनाया था।

16. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि जब प्रत्यर्थी द्वारा व्यापार-चिन्ह रजिस्ट्री, चेन्नई के समक्ष व्यापार-चिन्ह आवेदन दाखिल किया गया, तो चेन्नई में व्यापार-चिन्ह के उपयोग के संबंध में खतरा बताया गया था तथा यह महत्वहीन था कि क्या वास्तविक रूप से व्यापार-चिन्ह का उपयोग किया गया या नहीं तथा अपीलार्थी उक्त चिन्ह के विरुद्ध निषेधाज्ञा (एक निषेधाज्ञा उपाय होने के नाते) के हकदार होंगे।

17. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अंततः तर्क रखा कि प्रत्यर्थी 1 अप्रैल, 1995 से बिना किसी भौगोलिक सीमा के सम्पूर्ण भारत में व्यापार चिन्ह के उपयोग हेतु व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के लिए अपना आवेदन आधारित किया था जिसमें चेन्नई शहर सम्मिलित था, जिस कारण अपीलार्थीगण उच्च न्यायालय मद्रास में, व्यापार चिन्ह आवेदन में किये गये दावे के आधार पर, वाद दाखिल करने के हकदार होते हैं।

18. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता इन तर्कों का प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा विरोध किया गया। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा चेन्नई में व्यापार चिन्ह पंजीकरण हेतु आवेदन करने मात्र से चेन्नई में उच्च न्यायालय को अपीलार्थिगण द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्तमान दावे में किसी प्रकार की क्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त नहीं हो जाती, वह भी तब जब यह स्वीकृत है कि दावे के दोनों पक्षकार कोयम्बटूर में निवासरत हैं तथा कारोबार चलाते हैं तथा माल का विक्रय केवल कोयम्बटूर में किया जा रहा था।

19. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि चूंकि अधिनियम की धारा 18 के अनुसार पंजीकरण हेतु आवेदन उसके द्वारा उपयोग किए गए तथा उपयोग किये जाने हेतु प्रस्तावित व्यापार-चिन्ह के प्रोपराइटर दोनों द्वारा दाखिल किया जा सकता है। अतः मात्र पंजीकरण हेतु आवेदन दाखिल किए जाने के परिणामस्वरूप पासिंग-ऑफ के वाद प्रस्तुति हेतु वाद हेतुक उत्पन्न नहीं करेगा।

20. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 28 के अनुसार व्यापार-चिन्ह पंजीकरण से एक व्यक्ति को व्यापार-चिन्ह का अनन्य स्वामित्व तथा व्यापार-चिन्ह के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिलता है इसलिए मात्र व्यापार-चिन्ह के पंजीकरण के आवेदन के आधार पर, व्यापार-चिन्ह के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई न्यायालय में नहीं की सकती।

21. आगे यह तर्क दिया गया कि माल का वास्तव विक्रय पासिंग-ऑफ की कार्रवाई के मामले में साबित करना आवश्यक था तथा इसीलिए जिस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में माल का व्यावसायिक विक्रय किया गया, उसी न्यायालय को पासिंग-ऑफ के वाद पर विचार करने की अधिकारिता थी।

22. आगे यह तर्क दिया गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का, मैसर्स जवाहर इंजिनियरिंग कंपनी एम.एस. जवाहर इंजीनियरिंग कम्पनी और अन्य, गाजियाबाद (सुप्रा) में दिया गया निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि उस मामले में वादी व्यापार-चिन्ह का पंजीकृत स्वामी था तथा कार्रवाई पंजीकृत व्यापार-चिन्ह के धमकी भरे उल्लंघन के संबंध में निषेधाज्ञा के लिए थी, जबकि वर्तमान मामले में अपीलार्थिगण पंजीकृत स्वामी नहीं थे।

23. हमारे समक्ष प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंततः यह तर्क दिया गया कि व्यापार-चिन्ह आवेदन दाखिल करने मात्र से, प्रत्यर्थी द्वारा व्यापार के दौरान दुर्व्यपदेशन नहीं किया गया कि उसका माल अपीलार्थीगण का माल था तथा इसलिए पासिंग ऑफ दावे हेतु कोई वाद हेतुक नहीं था जिसके लिए यह आवश्यक था कि एक व्यक्ति के माल को कपटपूर्वक इस प्रकार विक्रय किया जाए जैसे की वो किसी अन्य का माल है।

24. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के पश्चात तथा उच्च न्यायालय और विद्वान एकल न्यायाधीश के उपरोक्त वर्णित निर्णय के ध्यानपूर्वक परिशीलन के पश्चात, हम उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के निर्णय में कोई कमी नहीं पाते हैं जिसमें अभिनिर्धारित किया गया कि व्यापार चिन्ह का पंजीकरण प्रदान किए जाने से पूर्व व्यक्ति को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि चिन्ह का उल्लंघन किया गया है तथा एक प्रस्तावित पंजीकरण, जो प्रदान किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, वादी को कार्रवाई करने का कारण प्रदान नहीं करेगा, चाहे पंजीकरण के लिए आवेदन वादी द्वारा किया गया हो या प्रतिवादी द्वारा किया गया हो।

25. इस संबंध में इस न्यायालय के निम्न वर्णित निर्णयों पर दृढता से विश्वास किया जा सकता हैः-

वांडर लिमिटेड व अन्य बनाम एनटोक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड 1990 एस.सी.सी 727 पैरा 60 में यह इस प्रकार देखा गया हैः-

> "पासिंग-ऑफ को अनुचित व्यापार प्रतिस्पर्धा या कार्रवाई योग्य अनुचित व्यापार की एक प्रजाति कहा जाता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, धोखे के द्वारा, उस प्रतिष्ठा का आर्थिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है जो दूसरे व्यक्ति ने किसी विशेष व्यापार या व्यवसाय में अपने लिए स्थापित की है। ऐसी कार्रवाई को धोखे के रूप में की गई कार्रवाई के रूप में माना जाता है। किसी व्यापारी द्वारा अपने संभावित ग्राहको को किया गया दुर्व्यपदेशन पासिंग-ऑफ के टाॅर्ट में सम्मिलित है, जिसका उददेश्य उचित रूप से अनुमानित परिणाम के रूप में किसी दूसरे के व्यवसाय या ख्याति को हानि पहुंचाना होता है, जो वास्तव में या संभवतः, किसी अन्य व्यापारी के व्यवसाय या भलाई को हानि कारित करता है।"

26. वर्तमान प्रकरण में, मात्र व्यापार चिन्ह के आवेदन दाखिल करने को पासिंग-ऑफ के लिए वाद दायर करने के लिए वाद कारण नहीं माना जा सकता है, क्याेकि व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करना प्रत्यर्थी की ओर से अपीलार्थिगण के व्यवसाय या ख्याति काे हानि कारित करने के किसी धोखे को इंगित नहीं करता है।

27. इन धोधा हाउस बनाम एस.के. मैंघ, [(2006) 9 एससीसी- 41] (पैरा-31). में यह इस प्रकार देखा गया है।

"एक वाद कारण केवल तभी उत्पन्न होगा जब एक पंजीकृत व्यापार चिन्ह का उपयोग किया जाता है, न कि तब जब व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल किया जाता है। किसी भी मामले में, पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन की अनुमति दी जा सकती है या नहीं भी दी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति जिसके पक्ष में पंजीकरण प्रमाण पत्र पूर्व में ही दिया जा चुका है उसे निर्विवाद रूप से उस रजिस्ट्रार के समक्ष, जिसे उक्त प्रश्न को निर्धारित करने की अपेक्षित अधिकारिता है, एक आवेदन दायर करके इसका विरोध करने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, एक वाद वहां लाया जा सकता है जहां व्यापार चिन्ह या कॉपीराइट का उल्लंघन होता है, किन्तु कोई वाद दायर करने के लिए वाद कारण उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर उत्पन्न नहीं होगा, केवल इसलिए कि व्यापार-चिन्ह जर्नल या किसी अन्य जरनल में विज्ञापन जारी किया गया है।"

28. उपरोक्त वर्णित निर्णय में, इस न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा प्रिमियर डिस्टिलरीज प्राईवेट लिमिटेड बनाम सुशी डिस्टिलरीज [2001 (3) सी.टी.सी. 652], में देख गये विचारों पर अपनी सहमति व्यक्त की है, जो इस प्रकार हैः-

"पासिंग-ऑफ के वाद में वाद-कारण का, रजिस्ट्रार के कार्यालय के स्थान या पंजीकरण के लिए आवेदन करने या न करने के तथ्य से कोई लेना-देना नहीं है। वादी के लिए यह साबित करना कि उसने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, पूर्णतः अनावश्यक है। यह तथ्य कि, वादी ने पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था, प्रतिवादी के

मामले में भी कोई सहायता नहीं करेगा। इसलिए, व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के लिए आवेदन दायर करने से, किसी वाद कारण के भाग का गठन नहीं होता, जहां वाद पांसिग-ऑफ के संबंध में है।" (बल दिया गया)

29. मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के लिए आवेदन दायर करने से पासिंग-ऑफ के वाद मे वाद-कारण के भाग का गठन नहीं होता है। अपीलार्थी मद्रास उच्च न्यायालय में, प्रत्यर्थी के व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के समक्ष दायर किए गए आवेदन में किए गए दावों के आधार पर, प्रत्यर्थी को व्यापार चिन्ह ए-वन का उपयोग करके अपने माल को हस्तान्तिरित करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग करते हुए, वाद दायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पासिंग-ऑफ की कार्रवाई के लिए जरूरी आवश्यकताएं नदारद है।

30. तदनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के आलौच्य निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। उपरोक्त कारणों से, खर्च के संबंध में कोई आदेश किए बिना, अपीलें खारिज की गई।

अपीलें खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायाधिकारी शिखा चारण (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।